# अधिसूचना दिनांक 09 सितम्बर, 2016

## मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग
**पंचम तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462 016**

## अन्तिम विनियम

## भोपाल, दिनांक 02/09/2016

क्रमांक 1439/मप्रविनिआ/2016 विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 13, 14, 61 की उपधारा (ज), 86 की उपधारा (1) के खण्ड (e) तथा (k)द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (एमपीईआरसी), एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

# मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (लघु–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा आपूर्ति) विनियम, 2016

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ''**मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (लघु–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा आपूर्ति) विनियम, 2016**'' है । (जी–40, वर्ष 2016)

(2) ये विनियम सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में लागू होंगे ।

(3) ये विनियम मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

**2. परिभाषाएं तथा निर्वचन :–**

**इन विनियमों में,** जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36)**;**

(ख) **'बिलिंग चक्र'** से अभिप्रेत है लघु–ग्रिड आपरेटर द्वारा उपभोक्ता अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत किए गए विद्युत् देयक की बिलिंग आवृत्ति**;**

(ग) **'आयोग'** से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन गठित मध्य प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग**;**

(घ) **'विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन'** (डीपीआर) से अभिप्रेत है, लघु–ग्रिड परियोजना से संबंधित तकनीकी, वित्तीय तथा पर्यावरणीय पहलुओं आदि से मिलकर बनने वाला विस्तृत प्रतिवेदन **;**

(ड़) **'वितरण फ्रेन्चाईजी'** (डी.एफ.) से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके निमित्त किसी विशिष्ट क्षेत्र में विद्युत् आपूर्ति क्षेत्र के भीतर विद्युत् की आपूर्ति हेतु प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति**;**

(च) **'वितरण फ्रेन्चाईजी अनुबंध'** (डी.एफ.ए.) से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निमित्त मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड तथा लघु–ग्रिड आपरेटर के मध्य लघु–ग्रिड आपरेटर द्वारा वितरण फ्रेन्चाईजी के रूप में प्रदत्त सेवाओं के लिए अनुबंध**;**

(छ) **'वितरण फ्रेन्चाईजी फीस'** वितरण फ्रेन्चाईजी अनुबंध के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निमित्त लघु–ग्रिड आपरेटर द्वारा प्रदत्त सेवाओं हेतु फीस**;**

(ज) **'वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली'** से अभिप्रेत है, पारेषण लाईनों अथवा विद्युत् उत्पादक केन्द्र संयोजन तथा उपभोक्ताओं की स्थापना के संयोजन बिन्दु के मध्य तार प्रणाली तथा संबद्ध सुविधाएं**;**

(झ) **'सम्प्रेषण विद्युत्–दर'** (एफ.आई.टी.) से अभिप्रेत है, लघु–ग्रिड आधारित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत् के उपापन हेतु विद्युत्–दर जैसा कि इसे मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 61 (ज) के अनुसरण में अवधारित किया गया है **;**

(ञ) **'ग्रिड का पहुंचना'** से अभिप्रेत है, लघु–ग्रिड क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली का विस्तार;

(ट) **'अन्तर्संयोजन बिन्दु'** से अभिप्रेत है लघु–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली की ओर विद्युत् आपूर्ति के लिए अन्तर्मुख बिन्दु**;**

(ठ) **'लघु–ग्रिड क्षेत्र'** से अभिप्रेत ऐसे क्षेत्रों से है, जहां लघु–ग्रिड आपरेटर द्वारा लघु–ग्रिड परियोजनाओं के माध्यम से इन विनियमों के अधीन विद्युत् की आपूर्ति की जाएगी**;**

(ड) **'लघु–ग्रिड आपरेटर '** (एम.जी.ओ.) से अभिप्रेत है, एक व्यक्ति, व्यक्तियों के किसी समूह, स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत संस्था, उपभोक्ता संगम, सहकारी समितियों, गैर–शासकीय संगठनों, एक कम्पनी से है जो विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति हेतु मध्य प्रदेश राज्य के भीतर लघु–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का निर्माण, इसे क्रियाशील तथा इसका संधारण करती हो तथा जिसके द्वारा इन विनियमों के अधीन इसके परिचालन हेतु सहमति व्यक्त की गई हो**;**

(ढ) **'लघु–ग्रिड परियोजना'** से अभिप्रेत है, लघु–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली जो विद्युत् का उत्पादन करती हो तथा उपभोक्ताओं को विद्युत् की आपूर्ति करती हो या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत् का विक्रय करती हो**;**

(ण) **'लघु–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली'** (एम.आर.ई.एस.) से अभिप्रेत है, कोई एकल विद्युत् संयंत्र जो उपभोक्ताओं और/या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत् की आपूर्ति हेतु लघु–ग्रिड क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत का उपयोग कर रहा हो;

(त) **'आबंधित इकाई'** से अभिप्रेत है, एक ऐसी इकाई जो अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ड.) के अधीन नवीकरणीय क्रय आबंध की पूर्ति के आदेशाधीन हो तथा जिसकी मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत् का उत्पादन तथा सह उत्पादन} (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2010 तथा इसके पश्चात्वर्ती संशोधनों के अधीन किया गया हो**;**

(थ) **'विद्युत् क्रय अनुबंध'** (पी.पी.ए.) वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा लघु–ग्रिड आपरेटर के मध्य लघु–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन पर उत्पादित विद्युत् के क्रय हेतु अनुबंध**;**

(द) **'प्राथमिक वितरण तंत्र'** (पी.डी.एन.) से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 53 में विनिर्दिष्ट किए गए सुरक्षा उपायों तथा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन में तकनीकी मानकों के अनुसार लघु–ग्रिड क्षेत्र में उपभोक्ताओं को लघु–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा

प्रणाली से उत्पादित विद्युत् आपूर्ति हेतु लघु–ग्रिड आपरेटर द्वारा स्वामित्व वाली वितरण अधोसंरचना**;**

(ध) **'नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र'** (आर.ई.सी.) से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र की मान्यता तथा जारी करने का निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2010, के माध्यम से अथवा समय–समय पर यथासंशोधित, विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किये गए प्रमाण–पत्र**;**

(न) **'नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत'** से अभिप्रेत है, ऐसे लघु जल विद्युत्, पवन, सौर, बायोमास, जैव–ईंधन (बायो–फ्यूल), शहरी अथवा नगरपालिक ठोस अपशिष्ट तथा ऐसे अन्य स्त्रोत जैसे कि एम.एन.आर. ई. द्वारा यथाअनुमोदित विद्युत् के उत्पादन हेतु समय–समय पर नवीकरणीय स्त्रोत **;**

(प) **'नवीकरणीय क्रय आबंध'** (आर.पी.ओ.) से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 86 की उप–धारा (1) के खण्ड (ड.) के अधीन आबंधित इकाई हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत् के क्रय हेतु यथा विनिर्दिष्ट आवश्यकता **;**

(फ) **'राज्य नोडल अभिकरण'** से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य में राज्य स्तर पर ग्रिड संयोजित तथा बाह्य–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन हेतु नोडल अभिकरण । विद्यमान व्यवस्था के अनुसार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड लघु–ग्रिड परियोजनाओं के लिए राज्य नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा**;**

(ब) **'टैरिफ कालावधि'** से अभिप्रेत है, वह कालावधि जिस हेतु आयोग द्वारा लघु–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पादित विद्युत् सम्प्रेषण विद्युत्–दर के लिए अवधारित है**;**

(भ) **'चक्रण अनुबंध'** से अभिप्रेत है, प्राथमिक वितरण तंत्र पीडीएन के माध्यम से विद्युत् की आपूर्ति हेतु लघु–ग्रिड आपरेटर के साथ वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध**;**

(म) **'वर्ष'** से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष ।

## भाग – क

## विस्तार तथा लागू होना

3. **विनियमों का विस्तार तथा लागू होने की सीमा** :

(1) ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को विद्युत् के उत्पादन तथा आपूर्ति हेतु नवीन तथा विद्यमान लघु–ग्रिड परियोजनाओं को लागू होंगे । विद्यमान लघु ग्रिड परियोजनाओं को इन विनियमों की अधिसूचना से छः माह के भीतर विनियमों के अनुसार तकनीकी मानकों तथा सुरक्षा उपायों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा**;**

(2) 10 किलोवाट या अधिक स्थापित क्षमता से युक्त लघु–ग्रिड परियोजनाएं इन विनियमों से शासित होंगी ।

## भाग – ख

## सामान्य सिद्धान्त

**4. व्यावसायिक परिचालन हेतु मॉडल :**

(1) लघु–ग्रिड आपरेटर, लघु–ग्रिड क्षेत्रों में जहां ग्रिड अस्तित्व में नहीं है, विद्युत् आपूर्ति के संबंध में लघु–ग्रिड परियोजनाओं का क्रियान्वयन निम्नलिखित परिचालन मॉडल अथवा किसी अनुवर्ती मॉडल के अन्तर्गत जैसा कि इसे भविष्य में आयोग द्वारा अनुमोदित कर सकेगा :–

(क) लघु–ग्रिड आपरेटर ऐसे क्षेत्रों में, जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली अस्तित्व में नहीं है, प्राथमिक वितरण तंत्र के माध्यम से विद्युत् के उत्पादन तथा आपूर्ति हेतु, लघु–ग्रिड परियोजनाओं का निर्माण, संचालन तथा अनुरक्षण करेगा ।

(ख) लघु–ग्रिड आपरेटर लघु–ग्रिड परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत् की सम्पूर्ण मात्रा की आपूर्ति उपभोक्ताओं को परस्पर सम्मत् विद्युत्–दर पर करने का हकदार होगा। ग्रिड की पहुंच उपलब्ध हो जाने पर, लघु–ग्रिड आपरेटर, उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत् की मात्रा की आपूर्ति वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अर्न्तसंयोजन बिन्दु पर आयोग द्वारा अवधारित की गई सम्प्रेषण विद्युत्–दर एफआईटी पर करेगा तथा नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में मध्य प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के विनियमों द्वारा शासित होगा।

(ग) लघु–ग्रिड आपरेटर, प्राथमिक वितरण तंत्र का स्वामित्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी को हस्तानान्तरण तारीख पर आस्तियों के अंकित–मूल्य पर परस्पर सहमति के आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के मानकों के अनुसार हस्तानांतरण करेगा । य लघु–ग्रिड आपरेटर यदि विद्युत् वितरण कम्पनी द्वारा प्राथमिक वितरण तंत्र का प्रभार ग्रहण करते समय किन्हीं कमियों के बारे में इंगित किया जाए तो लघु–ग्रिड आपरेटर, पाई गई कमियों का सुधार, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के मानकों के अनुसार करेगा ।आस्तियों के अंकित मूल्य का निर्धारण, आयोग द्वारा तीन वर्षों की कालावधि हेतु नियुक्त किए गए किसी तृतीय पक्षकार अभिकरण के माध्यम से किया जाएगा । आस्तियों के मूल्यांकन हेतु लागत लघु–ग्रिड आपरेटर तथा संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी ।

## भाग – ग

## तकनीकी संरचना

**5. प्राथमिक वितरण तंत्र के निर्माण हेतु तकनीकी मानक :–**

(1) लघु–ग्रिड आपरेटर, सुसंगत नियमों/विनियमों के अनुसार, प्राथमिक वितरण तन्त्र के सुरक्षित संचालन तथा संधारण के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) प्राथमिक वितरण तन्त्र के निर्माण हेतु तकनीकी मानक, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत् आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के अनुसार होंगे ।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली हेतु तकनीकी मानक इन विनियमों की आधिकारिक अधिसूचना की तारीख से एक माह के भीतर सार्वजनिक अधिकार–क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली द्वारा प्रसारित किए जाएंगे ।

(4) 10 किलोवाट तथा अधिक क्षमता वाली परियोजना के साथ लघु–ग्रिड परियोजनाओं के संबंध में वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली के तकनीकी मानकों के अनुरूप प्राथमिक वितरण तंत्र का निर्माण करना अपेक्षित होगा ।

(5) ये विनियम समस्त नवीन तथा विद्यमान लघु–ग्रिड परियोजनाओं को लागू होंगे । राज्य नोडल अभिकरण, प्राथमिक वितरण तंत्र के तकनीकी मानकों के सत्यापन हेतु तृतीय पक्षकार अभिकरण की नियुक्ति करेगा ।

**6. ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन हेतु तकनीकी मानक :–**

(1) दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन के बारे में ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन हेतु तकनीकी मानक राज्य नोडल अभिकरण द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के परामर्श से जारी तथा आयोग द्वारा अनुमोदित किये जाएंगे । राज्य नोडल अभिकरण, भविष्य में लघु–ग्रिड परियोजनाओं हेतु, प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये मानकों का अनुसरण भी कर सकेगा ।

(2) जब तक अन्तर्संयोजन हेतु तकनीकी मानक आयोग द्वारा अनुमोदित हैं, प्रस्तावित ग्रिड के साथ लघु–ग्रिड परियोजना के अन्तर्संयोजन हेतु केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (वितरित विद्युत् उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2012, लागू होगें ।

(3) लघु–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से अन्तर्संयोजन तंत्र की लागत, लघु–ग्रिड द्वारा वहन की जाएगी ।

**7. लघु–ग्रिड परियोजनाओं हेतु सुरक्षा उपायः–**

विद्युत् उपकरण की स्थापना संबंधी कार्य केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग (सुरक्षा और विद्युत् आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के अनुपालन में होने चाहिए ।

**8. मापन व्यवस्था :**

(1) समस्त मापयंत्र केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना तथा संचालन) विनियम, 2006 में विनिर्दिष्ट मानकों तथा उपबंधों के अनुरूप होंगे ।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी मापयंत्र(त्रों) की स्थापना लघु–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली के अन्तर्संयोजन बिन्दु पर करेगा ।

(3) अन्तर्संयोजन बिन्दु पर मापयंत्र(त्रों) की स्थापना हेतु लागत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा ।

(4) लघु–ग्रिड आपरेटर मापयंत्र की स्थापना निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुसार करेगा :

(क) लघु–ग्रिड परियोजना पर विद्युत् उत्पादन के अभिलेख हेतु विद्युत् उत्पादन मापयंत्र की स्थापना का कार्य । इस आबंधित इकाई(यों) हेतु नवीकरणीय ऊर्जा आबन्ध के प्रयोजन की पूर्ति भी की जाएगी; और

(ख) लघु–ग्रिड परियोजना से प्रत्येक बहिर्गामी फीडर पर मापयंत्र(त्रों) की स्थापना ।

## भाग – घ

## परिचालन संरचना

**9. वितरण फ्रेंचाईजी संरचना :–**

(1) कोई वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध, लघु–ग्रिड आपरेटर तथा संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निमित्त मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के मध्य निष्पादित किया जाएगा ।

(2) लघु–ग्रिड आपरेटर,वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण फ्रेंचाईजी की नियुक्ति हेतु क्रियान्वयन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट रूपात्मक शर्तों को पूरा करने के लिए लघु–ग्रिड आपरेटर, वितरण फ्रेंचाईजी की भूमिका का निर्वहन कर सकेगा । ऐसे प्रकरण में, लघु–ग्रिड आपरेटर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ अनुज्ञप्तिधारी की ओर से व्यापारिक कार्य के प्रचालन हेतु वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध का निष्पादन करेगा तथा वितरण फ्रेंचाईजी शुल्क क्रियाविधि के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी ।

(3) वितरण फ्रेंचाईजी फीस तथा अन्य निबंधन तथा शर्तें वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध में समावेश की जाएंगी ।

## भाग – ड़

## वाणिज्यिक संरचना

**10. उपभोक्ताओं को आपूर्ति हेतु ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन :–**

लघु–ग्रिड आपरेटर उपभोक्ताओं के साथ बिलिंग तथा बिल भुगतान चक्र का परस्पर निर्णय करेगा। इस के साथ–साथ, परियोजना संबंधी विवरण आयोग के समक्ष, संचालन प्रारंभ होने के एक माह पूर्व प्रस्तुत किए जाएंगे ।

**11. वितरण अनुज्ञप्तिधारी के ऊर्जा लेखांकन तथा आपूर्ति हेतु व्यवस्थापनः–**

(1) लघु–ग्रिड आपरेटर वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली के अर्न्तसंयोजन बिन्दु पर अन्तःक्षेपित विद्युत् के विरूद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी के बिलिंग की कालावधि के आधार पर बिल प्रस्तुत करेगा, तथा आयोग द्वारा निर्धारित की गई सम्प्रेषण विद्युत्–दर के आधार पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(2) भुगतान तथा संविदा की अन्य निबंधन तथा शर्तें, विद्युत् क्रय अनुबंध में समावेश की जाएंगी ।

**12. वितरण फ्रेंचाईजी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापनः–**

(1) लघु–ग्रिड आपरेटर वितरण फ्रेंचाईजी के क्रियाकलापों हेतु वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी बिल प्रस्तुत करेगा ।

(2) भुगतान तथा संविदा की अन्य निबंधन तथा शर्तों के वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध में समावेश किया जाएगा ।

**13. नवीकरणीय क्रय बाध्यता :**

लघु–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली से उत्पादित विद्युत् की मात्रा विद्युत् वितरण कम्पनी हेतु नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अनुपालन के प्रति अर्हता होगी ।

**14. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र क्रियाविधि :-**

नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र की प्रयोज्यता केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन के लिये नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र की मान्यता तथा जारी करने के लिए निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2010, पर आधारित होगी ।

## भाग – च

## संविदात्मक संरचना

**15. विद्युत् क्रय अनुबंध :**

(1) लघु–ग्रिड आपरेटर द्वारा घोषित क्षमता, विद्युत् क्रय अनुबंध के लिए अर्हता होगी ।

(2) लघु–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, से उत्पादित विद्युत् के आंशिक अथवा सम्पूर्ण विक्रय हेतु लघु–ग्रिड आपरेटर,वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के निमित्त मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के साथ विद्युत् क्रय अनुबंध में शामिल करेगा ।

**16. अनुबंधों का प्रतिसंहरण :-**

अनुबंधों के निरस्तीकरण के प्रकरण में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा लघु–ग्रिड आपरेटर, विद्युत् क्रय अनुबंध तथा वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का (जैसी कि लागू हो) अनुसरण करेंगे।

**17. बर्हिगमन विकल्प :–**

(1) लघु–ग्रिड आपरेटर को राज्य नोडल अभिकरण से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त कर लघु–ग्रिड क्षेत्र से बहिर्गमन के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) बर्हिगमन के विकल्प, लघु–ग्रिड आपरेटर एमजीओ तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को लागू अनुबंधों द्वारा शासित होंगे ।

(3) ऐसे क्षेत्रों में, जहां लघु–ग्रिड व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान हो, वहां ग्रिड के आगमन पर लघु–ग्रिड आपरेटरवितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राथमिक वितरण नेटवर्क के स्वामित्व के अन्तरण के बारे में परस्पर निर्णय करेगा ।

## भाग – छ

## हितधारिकों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व

**18. राज्य नोडल अभिकरण :–**

इन विनियमों के निर्विध्न तथा प्रभावी क्रियान्वयन को सुकर बनाए जाने के उद्देश्य में, राज्य नोडल अभिकरण की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे :

(क) जब कभी भी आवश्यक हो, लघु–ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली) हेतु सम्प्रेषण विद्युत् दर के अवधारण में आयोग को जानकारी प्रदान करना;

(ख) राज्य में लघु–ग्रिड परियोजना विकास की खोज पर दृष्टि रखने की प्रक्रिया को संस्थित करना;

(ग) इन विनियमों की आधिकारिक अधिसूचना की तारीख से तीन माह के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी के परामर्श में अन्तर्संयोजन हेतु आयोग को तकनीकी मानक प्रस्तुत करना;

(घ) लघु–ग्रिड परियोजना के संचालित करने से, लघु–ग्रिड आपरेटर को प्रयोज्य आपूर्ति मॉडल के अन्तर्गत माईग्रेशन को सुकर बनाना;

(ड़) आयोग को समर्थन देना तथा विनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के अनुक्रम में उसके द्वारा समय–समय पर चाही गई जानकारी उपलब्ध कराना;

(च) लघु–ग्रिड आपरेटर के बहिर्गमन तथा माइग्रेशन के अनुरोध का प्रबंध करना; और

(छ) विनिर्दिष्ट विनियमों के अधीन संचालित किए जाने हेतु तैयार नवीन लघु–ग्रिड परियोजनाओं तथा विद्यमान परियोजनाओं हेतु तकनीकी मानकों तथा सुरक्षा उपायों की पुष्टिकरण के लिए प्राथमिक वितरण तन्त्र के सत्यापन हेतु तृतीय पक्षकार को सुकर बनाना।

**19. वितरण अनुज्ञप्तिधारी :**

वितरण अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होगा :

(क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली के तकनीकी मानकों को विनिर्दिष्ट तथा शेयर करना;

(ख) लघु–ग्रिड आपरेटर से आवेदन प्राप्त करने के एक माह के भीतर लघु–ग्रिड आपरेटर के साथ विद्युत् क्रय अनुबंध करना; और

(ग) परस्पर सहमति के साथ, लघु–ग्रिड आपरेटर) से आवेदन प्राप्त करने पर वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध में प्रविष्टि करना ।

**20. लघु–ग्रिड आपरेटर :–**

(1) लघु–ग्रिड आपरेटर, विद्युत् का उत्पादन तथा लघु–ग्रिड क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को विद्युत् की आपूर्ति करेगा ।

(2) लघु–ग्रिड परियोजना, विनियमों में विनिर्दिष्ट तकनीकी मानकों तथा सुरक्षा उपायों के अनुरूप होगी।

(3) ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन किए जाने पर, क्षेत्र को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत् क्रय अनुबंध तथा वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध (जैसा कि लागू हो) के अधीन यथा उल्लिखित कृत्यों को निष्पादित करेगा ।

**21. लघु–ग्रिड क्षेत्र में उपभोक्ता :**

(1) चिन्हांकित लघु–ग्रिड क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा लघु–ग्रिड आपरेटर को विद्युत् प्रभारों का नियमित भुगतान परस्पर, सम्मत विद्युत्–दर पर आधारित होगा ।

(2) उपभोक्ता, ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग द्वारा ऊर्जा दक्ष उपायों को अपनाएगा तथा समग्र विद्युत् की खपत को कम करेगा ।

## भाग – ज

## प्रकीर्ण

**22. भुगतान सुरक्षा :**

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, लघु–ग्रिड आपरेटर को भुगतान में प्राथमिकता देगा ।

(2) लघु–ग्रिड परियोजना से हरित विद्युत् के क्रय हेतु सम्प्रेषण विद्युत्–दर के विरूद्ध क्षतिपूर्ति, आस्ति फीस (यदि देय हो) तथा वितरण फ्रेंचाईजी फीस, वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का भाग होंगे ।

**23. तकनीकी समिति का बनाया जाना :–**

(1) आयोग द्वारा, राज्य स्तर पर तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा ।

(2) समिति में राज्य नोडल अभिकरण, लघु–ग्रिड आपरेटर तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी का प्रतिनिधित्व हो जो मुख्य अभियन्ता की श्रेणी से कम का नहीं होगा ।

(3) समिति, विनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित क्रियाकलापों की समग्र प्रगति का पर्यवेक्षण करेगी ।

**24. शिकायत निवारणक्रियाविधि :–**

(1) आयोग लघु–ग्रिड आपरेटर तथा संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य किसी विवाद का निराकरण करेगा ।

(2) किसी उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत् लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2009 के अनुसार किया जाएगा ।

**25. क्रियान्वयन दिशा–निर्देश :–**

(1) इन विनियमों की आधिकारिक अधिसूचना से तीन माह के भीतर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित विचारों के साथ लघु–ग्रिड परियोजना की संरचना शासित करने वाले क्रियान्वयन दिशानिर्देश विकसित करेगा :–

(क) प्राथमिक वितरण तन्त्र के निर्माण हेतु तकनीकी मानक;

(ख) लघु–ग्रिड परियोजना के ग्रिड के साथ अन्तर्संयोजन हेतु तकनीकी मानक;

(ग) मॉडल के अन्तर्गत विकल्पों का माइग्रेशन;

(घ) वितरण फ्रेंचाईजी अनुबंध के सिद्धान्त; तथा

(ड़) विनियमों के क्रियान्वयन हेतु अन्य कोई सुसंगत विषय ।

(2) क्रियान्वयन दिशानिर्देशों को आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

**26. निर्देश देने की शक्ति :**

आयोग, समय–समय पर, ऐसे निर्देश तथा आदेश जारी कर सकता है, जैसा इन विनियमों के क्रियान्वयन हेतु समुचित समझे जाएं ।

**27. शिथिल करने की शक्ति :–**

आयोग , लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुएसामान्य या विशेष आदेशों द्वारा तथा प्रभावित होने वाले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष आवेदन करने पर, इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगा ।

**28. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति :–**

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, आयोग, सामान्य अथवा विशिष्ट आदेशों द्वारा इन उपबंधों से अनसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगा जो वह ऐसी कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक समझे ।

**29. संशोधन करने की शक्ति :**

आयोग, समय–समय पर इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को परिवर्धित, तबदील परिवर्तित, स्थगित, रूपान्तरित, संशोधित अथवा निरसित कर सकेगा ।

**मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग**
**के आदेशानुसार**

**शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव**